न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 23 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:- 2019/0007
अनवान :-

1. गिरधारी पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. जयकिशन पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. किशन कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. आत्माराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. विधा पुत्री मेहरचन्द पत्नी मनसुख जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
6. शान्ती पुत्री मेहरचन्द पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
7. गीरा पुत्री मेहरचन्द पत्नी दलीप जाति जाट निवासी लखानिया तहसील नोहर
8. फुलादेवी पुत्री मेहरचन्द पत्नी खेतराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर
9. केसरदेवी पुत्री मेहरचन्द पत्नी देवीसिह जाति जाट निवासी लखानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. सन्तोष पुत्री जयकिशन जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
11. मैनादेवी पुत्री जयकिशन जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
12. विनोद कुमार पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नगरसरी के खाता संख्या 95/100 की कुल 15.1860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई थी विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्रीयों का वरावर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र जयकिशन के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 है अर्थात विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 वादी की वहने/भतीजी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व पुत्र जयकिशन के वारिस है प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता आदराम वल्द नारायण के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/चाचा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 12 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरसरी के खाता संख्या 95/100 की कुल 15.1860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई थी विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये वाद भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्रीयों का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र जयकिशन के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 है अर्थात विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 वादी की बहने/भतीजी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व पुत्र जयकिशन के वारिस है प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,12 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे

उपखण्ड अधिकारी
सोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरसरी के खाता संख्या 95/100 की कुल 15.1860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि आदराम वल्द नारायण के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के नाम से दर्ज है वादी के दादा आदराम वल्द नारायण के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी राख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरसरी के खाता संख्या 95/100 की कुल 15.1860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 12 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 का सयुक्त तौर से 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गिरधारी पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. जयकिशन पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. किशन कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. आत्माराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. विधा पुत्री मेहरचन्द पत्नी मनसुख जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
6. शान्ती पुत्री मेहरचन्द पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
7. मीरा पुत्री मेहरचन्द पत्नी दलीप जाति जाट निवासी लालानिया तहसील नोहर
8. फुलादेवी पुत्री मेहरचन्द पत्नी घेतराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर
9. केसरदेवी पुत्री मेहरचन्द पत्नी देवीसिह जाति जाट निवासी लालानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. सन्तोष पुत्री जयकिशन जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
11. मैनादेवी पुत्री जयकिशन जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
12. विनोद कुमार पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 23 सन 2019 निर्णय दिनांक– 15/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरसरी के खाता संख्या 95/100 की कुल 15.1860हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 12 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 का सयुक्त तौर से 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner